

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु
तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

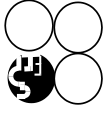
वर्ष 2021–2022



बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

डेयरी संयंत्र: सिरौंजा, सागर

E-mail : sanchimccsagar@gmail.com



बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, सिरोंजा सागर – 470004 (म.प्र.)

दूरभाष क्र : 07582-281345

ई-मेल sanchimccsagar@gmail.com

मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा प्रपत्र आमंत्रण सूचना:

Ref No: 585 /Engg./ BKDS/SAGAR/ 2021

Date: 24.11.2021

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा सागर शहर में पार्लर का निर्माण कर स्थापना करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा विस्तृत विवरण म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र **www.mptenders.gov.in** से निविदा शुल्क 500/- रुपये जमा कर क्रय किया जा सकता है। ईएमडी राशि 50,000/- रुपये

- | | |
|---|---|
| 1. निविदा ऑनलाईन क्रय करने की दिनांक | : 25.11.2021 दोपहर 12.00 बजे |
| 2. निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम दिनांक | : 01.12.2021 दोपहर 03.00 बजे |
| 3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक | : 02.12.2021 दोपहर 04.00 बजे |
| 4. वित्तीय बिड खोलने की दिनांक | : 03.12.2021 शाम 04.00 बजे |
| 5. ईएमडी राशि | : 50,000/- रुपये |
| 6. निविदा खोलने का स्थान | : बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ
मर्यादित, सिरोंजा, सागर (म.प्र.)
पिन कोड- 470004 |

किसी भी निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

अधिकारी

मुख्य कार्यपालन

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर
डेयरी प्लांट सिरौंजा, सागर

साँची मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा प्रपत्र

1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि 01.12.2021 दोपहर 3:00 बजे तक
2.	ई-निविदा के साथ जमा की जाने वाली (ई.एम.डी.) राशि	रु. 50000 /— (पचास हजार रु मात्र) डीडी. के माध्यम से।
3.	मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएँ का प्रारूप ।	परिशिष्ट क्र. 01
4.	मिल्क पार्लर निर्माण कार्य की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट क्र. 02
5.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप (केवल अवलोकन हेतु)	परिशिष्ट क्र. 03
6.	निविदाकार की जानकारी	परिशिष्ट क्र. 04
7.	शपथ-पत्र	परिशिष्ट क्र. 05 एवं 06

ई-निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, ई-निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी ऑनलाईन अपलोड करें।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में ई-निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदारी निविदाकार की स्वयं की होगी।

टिप्पणी :-

ई-निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

1. निविदा कार्य अवधि:-

निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2021-2022 (एक वर्ष) के लिए आमंत्रित है।

2. न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

स.क्र.	विवरण	विवरण
3	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएँ अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड कराने होंगे।
4	अनिवार्य अर्हताएँ-	अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र क्र.04 को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोप्राइटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा होना चाहिये।	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	अंतिम दो वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई अंतिम दो वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.6	ई-निविदा फार्म का शुल्क जमा किया हो।	ई-निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगी।

5. ई-निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय –

ई-निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेन्ट) वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य की राशि रु. 500/- (रु. पाँच सौ रुपये मात्र) (वैट सहित) ऑनलाई माध्यम से ई-निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना आवश्यक होगा। बिना ई-निविदा प्रपत्र मूल्य के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

ई-निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति स्वयं के हस्ताक्षर से ही ई-निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
बुन्देलखण्ड

महोदय,

मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु दिनांक को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की डीडी./रसीद, क्रमांकदिनांकसंलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें।		जीएसटी नं. की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
6.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. 50000/- (पचास हजार रुपये) की रसीद संलग्न करें।
7.	अंतिम दो वित्तीय वर्ष का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई अंतिम दो वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8.	निविदाकार के पास कम से कम 03 वर्ष का एसीपी एवं फेब्रीकेशन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		कार्य अनुभव हेतु कार्यदेश की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ ऑनलाईन अपलोड करें।

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____

नाम :- _____

पता :- _____

टेलीफोन नं. _____

साँची मिल्क पालर निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा की आवश्यक शर्तें

- (1) निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- (2) निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही निविदा प्रस्तुत करनी होगी। केवल न्यूनतम दरें ही मान्य होंगी।
- (3) निविदाकार को निविदा के साथ रु. 50000/- (रु. पचास हजार रुपये) केवल ऑनलाईन के माध्यम से ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की ई-निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- (4) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की सुरक्षा निधि राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
- (5) निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई सुरक्षा निधि रु. 300000/- (रु.तीन लाख मात्र) डीडी के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट " बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" सागर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि का सुरक्षा निधि राशि में निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन किया जा सकेगा। सुरक्षा निधि राशि जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
- (6) निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो सुरक्षा निधि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
- (7) ई-निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- (8) निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।
- (9) किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- (10) पालर निर्माण हेतु दिये जाने वाले कार्य आदेश में पालर निर्माण की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है किन्तु पालर निर्माण हेतु दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (11) निर्मित पालर का निरीक्षण एवं सत्यापन संघ के अधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान देयक प्रस्तुत करने के 30 दिवस में किया जावेगा। सत्यापन करने वाली समिति द्वारा पालर निर्माण के समय पेंट/प्राईमर लगने के पूर्व ही निरीक्षण किया जा सकता है। निर्मित किये जाने वाले पालर में निर्धारित गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता की सामग्री पाये जाने पर संबंधित पालर रिजेक्ट कर दिये जावेंगे।
- (12) निविदा में दी गई दर समस्त सामग्री, श्रम तथा समस्त प्रचलित करों सहित रहेंगी। कार्य के दौरान श्रम नियम एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी तथा पालर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर ही सही हालत में पहुँचाकर देने होंगे। इस हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय पृथक से नहीं दिया जावेगा।
- (13) निविदा के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत निविदा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि तथा

क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ का होगा।

(14) सफल निविदाकार को कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरांत दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विलंब होने की स्थिति में कार्य की राशि पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा जिसकी राशि निविदाकार के देयकों से अथवा सुरक्षा निधि से राशि में से वसूल की जावेगी।

(अ)	15 दिवस तक	—	1 %
(ब)	16 से 30 दिवस तक	—	2 %
(स)	30 दिवस से अधिक पर	—	5 %

- (15) निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार की दरें अत्यधिक परिलक्षित होने की दशा में नेगोशिएशन करने हेतु समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ को होगा।
- (16) निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार को निविदा अवधि में केवल स्वीकृत दरों पर ही देयक भुगतान किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पार्लर निर्माण से संबंधित सामग्रियों पर दरें बढ़ाने की दशा में निविदाकार को पृथक से बड़ी हुई दरों का भुगतान नहीं किया जावेगा। जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
- (17) पार्लर निर्माण हेतु पार्लर की डिजाइन प्रथक से प्रपत्र के साथ अपलोड की गई है। अधिक जानकारी के लिए दुग्ध संघ संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित मानक स्तरों अनुसार ही पार्लर तैयार किया जाना होगा।
- (18) सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
- (19) कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लेक लिस्टेड किया गया हो। निविदा में सफल होने के पश्चात् सफल निविदाकार को इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (20) बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। निविदा में सफल होने के पश्चात् सफल निविदाकार को इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे दुग्ध संघ के किसी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी के परिवहन के सदस्य नहीं हैं।
- (21) निविदाकार को विधि सम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
- (22) निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, ई-निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही ई-निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा: ई.एम.डी. राशि की रसीद ऑनलाईन प्रस्तुत करें। जमा न करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे।
- (23) निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।
- (24) मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर आगामी 06 माह की अवधि हेतु समान दर एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।
- (25) निविदाकार मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु पार्लर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 07 में वर्णित है, को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लें एवं तदनु रूप ही पार्लर निर्माण करना सुनिश्चित करें।
- (26) निविदाकार के पास न्यूनतम 03 वर्ष का एसीपी एवं फेब्रीकेशन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
- (27) निविदाकार को समस्त दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे।

मेरे द्वारा मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समक्ष ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी ईएमडी राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

वित्तीय बिड प्रारूप

क्र.	विवरण	दर प्रति पार्लर					
		Silver Parlour		Gold Parlour		Platinam Parlour	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1.	सागर						
2.	छतरपुर						
3.	दमोह						
3.	टीकमगढ़						
4.	पन्ना						
5.	निवाड़ी						
6.	अशोकनगर						
नोट:— दरें जीएसटी.....(%)सहित प्रस्तुत की गई है।							

नोट:— निविदाकार को पार्लर निर्माण दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।

आवेदक/निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का परिचय

 स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
-(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)
4. ई-मेल आई डी (अनिवार्य रूप से अंकित करें)
5. दूरभाष/मोबाईल नं.
6. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी
(दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
-
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
-
8. (अ) पेन नम्बर
- (ब) GSTIN नम्बर
9. ऑनलाईन भरी गई ई.एम.डी. राशि की रसीद
- (समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा मिल्क पार्लर निर्माण कार्य संबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

 आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

शपथ—पत्र रू. (रू. 100 /— के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में
..... कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा
बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या
पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय
मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी
तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता -----

शपथ-पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैंनिवासी बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ में कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे शासकीय/अशासकीय संस्था से किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता -----

हस्ताक्षर-----

पार्लर निर्माण कार्य हेतु टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का विस्तृत विवरण

पार्लर निर्माण कार्य हेतु टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पृथक से पीडीएफ फाईल अपलोड की गई है।

साँची मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, बुन्देलखण्ड, जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्री से बतौर मिल्क पार्लर निर्माणकर्ता के रूप में दुग्ध संघ द्वारा दिनांक..... से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के रूप में कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत निविदाकार को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस का कार्य छोड़ने बावत देना होगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, निविदा अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
3. द्वितीय पक्ष को मिल्क पार्लर निर्माण कार्य समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
4. द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय पर आवंटित स्थल पर मिल्क पार्लर तैयार कर दुग्ध संघ को सुपुर्द करना अनिवार्य होगा।
5. केन्द्र सरकार द्वारा निविदा अवधि के दौरान मिल्क पार्लर निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्रियों की दरों में वृद्धि करने की दशा द्वितीय पक्ष को केवल निविदा में स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
7. द्वितीय पक्ष को निविदा अवधि के दौरान कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। भविष्य में कभी भी किसी भी समय ऐसा करते पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा। जिसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. पार्लर निर्माण होने के उपरांत दुग्ध संघ की अधिकारी पार्लर का सत्यापन करेंगे। सत्यापन उपरांत निर्धारित मानकों पर सही पाये जाने की दशा में द्वितीय पक्ष के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
9. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
10. यह कि मिल्क पार्लर निर्माण हेतु मेसर्स निर्माणकर्ता के रूप में ----- प्रतिनग कार्य करेंगे।
11. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए दिनांक ----- से ----- तक प्रभावशील रहेगा।
12. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण ना होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. इस अनुबंध का न्यायाधिकार क्षेत्र सागर शहर का न्यायालय में रहेगा। निविदा प्रपत्र में वर्णित नियम व शर्तें अनुबंध का भाग माने जावेंगे।
14. द्वितीय पक्ष को कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरांत दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विलंब होने की स्थिति में कार्य की राशि पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा जिसकी राशि द्वितीय पक्ष के देयकों से अथवा सुरक्षा निधि राशि से वसूल की जावेगी।

(अ) 15 दिवस तक — 1 %

(ब)	16 से 30 दिवस तक	—	2 %
(स)	30 दिवस से अधिक पर	—	5 %

मैं पिता/पति/पत्नी.....
निविदाकार अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/
करती हूँ।

निविदाकार (द्वितीय पक्ष) के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम पक्ष)
बुन्देलखण्ड सह.दुग्ध संघ मर्या.सागर

1.गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....
.....
.....

प्रभारी (इंजीनियरिंग/विपणन)
बुन्देलखण्ड सह.दुग्ध संघ मर्या.सागर

2.गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....